



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S.No. 1402 Year 2022

FZ 936448

(प्रास— ४ )

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली दिल्लीमा इन फार्मैसी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अद्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रास:-

हम फौजन प्रसाद (अध्यक्ष) एवं अशु उपरोक्त मुकदमों (सचिव) क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव मानव विकास एवं कल्याण संस्था (सोसाइटी/ट्रस्ट का नाम एवं पता ) बार्ड नं-6, लोकमान्य तिलक नगर, सकलसोडा रोड बन्दीली तालाबतक निम्नलिखित बयान करते हैं-


1. यह कि हमारी सोसाइटी / ट्रस्ट द्वारा मानव विकास संस्था द्वारा एमडीओ कालेज ऑफ फार्मैसी नामक दिल्लीमा इन फार्मैसी, संस्थान सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि, हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम मानव विकास एवं कल्याण संस्था पता, सकलसोडा रोड बन्दीली, बार्डों पर भूमि रिकॉर्ड नं 6279 सेक्टर 335 एवं 199 रकबा संस्था 0.5220 एवं 0.3059 सेक्टर 8279 सेक्टर 335 एवं 199 रकबा संस्था 0.5220 एवं 0.3059 सेक्टर 8279 सेक्टर 335 ) भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी चाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि, उपरोक्त पत्र पर सोसाइटी के नाम उपरोक्त भूमि के गांवा संख्या 335 एवं 199 रकबा क्रमशः 0.5220 एवं 0.3059 सेक्टर 8279 सेक्टर 335 पर उपरोक्त नाम कि दिल्लीमा इन फार्मैसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक-27.06.2019 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रसंगत दिल्लीमा फार्मैसी संस्थान के संभालन हेतु बतनों का निर्माण अनुमोदित नकशे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि, विशेषण समिति के संस्था उपरोक्त पत्र पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित और विचारित बतनों को ही विशेषण समिति के संस्था विशेषण हेतु प्रस्तुत किया गया है।





7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि, इस संस्थान में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राथमिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रयोग क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस परनिर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राथमिक शिक्षा परिषद, त090, लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आईटीआईआरडी आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और नहीं भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राथमिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक सैद्धिक एवं अर्थव्यवस्था स्टॉक की तैयारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा स्वयं प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्मित निर्देशों/आदेशों का तत्कालीन पालन कर्तव्य है। यदि कोई संस्थान में किसी भी समय स्थानीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता सशक्ति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई वित्तिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।
13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्व रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/वस्तावेज फर्जी, कूटस्थित अथवा अशुद्धिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी वित्तिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा।

  
 ह0/सचिव  
**Secretary**  
 Mahav Vikash Eram Kalyan Sanstha  
 Saka Idha Road, Chandauli

  
 ह0 अडवक  
**अडवक**  
 पानव विकास एवं कल्याण संस्थान,  
 भुवनेश्वरी रोड-चौकी-232104

*Handwritten signature*



Certified by me in presence before  
 Me  
 Adv. Notary *Gitan Chandra Prasad Singh*  
 Govt. of U.P. Chandauli